प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 30.08.2026

गाजियाबाद पुलिस का चार पहिया वाहन चोर गिरोह के विरुद्ध सशक्त अभियान

स्वाट टीम, अपराध शाखा व थाना लिंक रोड पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद की संयुक्त कार्यवाही में गाजियाबाद, बिहार, हरियाणा व दिल्ली एन0सी0आर0 क्षेत्र से चार पहिया वाहनों की चोरी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह का 01 शातिर सक्रिय सदस्य गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की एक विटारा ब्रेजा कार व फर्जी नम्बर प्लेट बरामद।

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में चार पहिया वाहनों की चोरी व चोरी के वाहनों की खरीद फरोख्त करने वाले गिरोह के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनाँक-29/08/2026 को स्वाट टीम, अपराध शाखा व थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा गाजियाबाद, बिहार, हरियाणा व दिल्ली एन0सी0आर0 क्षेत्र से चार पहिया वाहनों की चोरी व चोरी के वाहनों की खरीद-फरोख्त करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 01 शातिर सक्रिय सदस्य राज उर्फ राजकुमार महतो पुत्र प्रदीप लाल महतो को थाना लिंक रोड क्षेत्र से गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गयी है, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से दिल्ली से चोरी की गयी फर्जी नम्बर प्लेट लगी ग्रे रंग की 01 विटारा ब्रेजा कार बरामद की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-</u>

1.राज उर्फ राजकुमार पुत्र प्रदीप लाल महतो निवासी क्वार्टर नं0 168 राजवंशी नगर थाना शास्त्री नगर जिला पटना बिहार उम्र करीब 24 वर्ष

<u>पूछताछ का विवरण-</u> पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त राज उर्फ राजकुमार महतो ने बताया कि उसका दिल्ली एन0सी0आर0 क्षेत्र में चार पहिया वाहनों की चोरी करने वाले चोरो व चोरी किये गये वाहनों की खरीद फरोख्त करने वालो का एक संगठित गिरोह है जिसमें छोटू, राहुल उर्फ धीरज, गुड्डू कुमार निवासीगण पटना बिहार व कुनाल उर्फ ताऊ उर्फ राहुल निवासी दिल्ली सक्रिय सदस्य है। गिरफ्तार अभियुक्त राज उर्फ राजकुमार ने बताया कि वह छोटू, गुड्डू, ताऊ उर्फ कुनाल उर्फ राहुल के साथ मिलकर राहुल अरोडा निवासी पटना की डिमाण्ड के अनुसार गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर व दिल्ली एनसीआर से चार पहिया गाडियों की चोरी करते है तथा चोरी किये वाहनो को अच्छी कीमत पर राहुल अरोडा निवासी बिहार को बेच देते है। चोरी किये गये वाहनों को बेचने से जो मुनाफा होता है उसको आपस में बराबर-बराबर आपस में बाट लेते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि उससे बरामद विटारा ब्रेजा कार सने राहुल निवासी बिहार की डिमाण्ड पर अपने साथी गुड्डु, छोटू, ताऊ उर्फ कुनाल के साथ मिलकर करीब 3-4 दिन पहले तिलक नगर दिल्ली से

चोरी की थी, जिस पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर राहुल अरोडा को बेचने के लिए आज बिहार लेकर जाने वाला था कि पकडा गया। हम लोग पकडे जाने से बचने के लिये चोरी किये गये वाहनो की फर्जी नंबर प्लेट लगा कर रखते है। इस गाडी के अलावा भी इसने अपने साथियों के साथ मिलकर गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद व दिल्ली एनसीआर क्षेत्र व अन्य जगहो से काफी चार पहिया वाहनो को चोरी करके अपने साथी राहुल उर्फ राहुल अरोडा पटना को बेच चुके है।

अभियुक्त से बरामदगी का विवरण-

1.विटारा ब्रेजा कार रंग ग्रे रजि0 न0 DL12CU 6731 दिल्ली से चोरी

2.फर्जी नम्बर प्लेट नं0 T0922HR6320E

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. राज उर्फ राजकुमार पुत्र प्रदीप लाल महतो-

1.मु0अ0स0-020060/26 धारा-305(B) थाना तिलकनगर बीएनएस दिल्ली

2.मु0अ0स0-0209/2026 धारा-317(2)/317(4)/317(5)/345(3)/3(5) बीएऩएस गाजियाबाद

<u>गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1.स्वाट टीम, अपराध शाखा पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

2.थाना लिंक रोड, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का सामान बरामद।

दिनांक 29.08.2026 को थाना कौशाम्बी पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात चोर द्वारा वादिया के घर से कार्यालय की मुहर, 01 काला बैग व मोबाइल के ईयर बड्स चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कौशाम्बी पर धारा 305(a) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 30.08.2026 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुये घटना कारित करने वाले अभियुक्त मुन्ना पुत्र बंधन महतो हाल निवासी मुल्हेड़ा सेक्टर 22 गुरुग्राम हरियाणा मूल निवासी गांव सुंदरपुर थाना पालकोट जिला गुमला झारखंड उम्र करीब 27 वर्ष को आनंद विहार बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी किया गया 01 काला बैग 01 कार्यालय की मोहर व काले रंग के ईयर बड्स बरामद किये गये । उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मुझे नशे की आदत पड गई है मैंने अपने नशे की पूर्ति के लिए यह सामान रत्नागिरि टावर स्थित एक फ्लैट चोरी कर लिया था। मैं आज इस चोरी के सामान को बेचने की फिराक में घूम रहा था कि पुलिस ने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मुन्ना पुत्र बंधन महतो हाल निवासी मुल्हेड़ा सेक्टर 22 गुरुग्राम हरियाणा मूल निवासी गांव सुंदरपुर थाना पालकोट जिला गुमला झारखंड उम्र करीब 27 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

चोरी का 01 काला बैग, 01 कार्यालय की मोहर व काले रंग के ईयर बड्स बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूध्द थाना कौशाम्बी पर चोरी की 01 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 27.08.2026 को थाना टीला मोड पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि वादिया की नाबालिग पुत्री उम्र करीब 14 वर्ष का बिना बताये घर से चले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना टीला मोड पर तत्काल सुसंगत धारा 137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा तलाश हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया तत्पश्चात थाना टीला मोड पुलिस टीम द्वारा पीडिता को बरामद किया गया तथा पीडिता के बयानों के आधार पर मोहसीन पुत्र इस्लाम हाल निवासी ग्राम कुर कुर्सी थाना मुरादनगर गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम कसेरुआ थाना शाहपुर जिला मुज्फ्फरनगर उम्र करीब 23 वर्ष का नाम प्रकाश में आया तथा उपरोक्त अभियोग में धारा 65(1) बीएनएस व 3/4(2) पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गई।

आज दिनांक 30.08.2026 को थाना टीलामोड पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इनपुट के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त मोहसीन पुत्र इस्लाम हाल निवासी ग्राम कुर कुर्सी थाना मुरादनगर गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम कसेरुआ थाना शाहपुर जिला मुज्फ्फरनगर उम्र करीब 23 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसकी पीडिता से जान पहचान थी तथा आपस में मोबाइल से बातचीत होती थी। दिनांक 26.08.2026 को मैं पीडिता को अपने साथ लेकर चला गया था और मौका पाकर शारीरिक संबंध बना लिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

मोहसीन पुत्र इस्लाम हाल निवासी ग्राम कुर कुर्सी थाना मुरादनगर गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम कसेरुआ थाना शाहपुर जिला मुज्फ्फरनगर उम्र करीब 23 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग -

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना टीला मोड पर 01 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम।

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 21.08.2026 को थाना साहिबाबाद पर वादी श्री धनपत राय पुत्र स्व0 दीप चन्द द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात चोर द्वारा B-61, श्याम पार्क एक्सटेंशन गाजियाबाद से वादी की मोटरसाइकिल चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना साहिबाबाद पर तत्काल सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 29.08.2026 को थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले अभियुक्त सचिन भडाना पुत्र विजेन्द्र सिंह निवासी D-17 श्य़ामपार्क एक्सटेंशन थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष को निगम कूडा घर कट के पास चोकी क्षेत्र श्यामपार्क से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद हुयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण :-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि यह मोटरसाइकिल मैंने कुछ दिन पूर्व श्यामपार्क एक्सटेंशन से चोरी की थी। मैं चोरी छिपे इस चोरी की मोटरसाईकिल को बेचने के उद्देश्य से जा रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकडा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

सचिन भडाना पुत्र विजेन्द्र सिंह निवासी D-17 श्य़ामपार्क एक्सटेंशन थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष

बरामदगी का विवरणः-

चोरी की 01 मोटरसाइकिल हीरो स्पलैण्डर प्लस बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त मोटरसाइकिल चोरी के संबंध में थाना साहिबाबाद पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा 01 वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 29.08.2026 को थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले अभियुक्त विकास कुमार उर्फ बल्लू उर्फ बब्लू पुत्र शशि भूषण हाल निवासी ट्रान्सफार्मर वाली गली राजबाग कॉलोनी थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष को लोहिया पार्क के पास अराधना रोड के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से थाना शालीमार गार्डन क्षेत्र से चोरी की गयी 01 मोटरसाइकिल बरामद हुयी । उक्त चोरी के वाहन बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना साहिबाबाद पर धारा 317(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण :-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि यह मोटरसाईकिल मैंने ईएसआई हास्पिटल शालीमार गार्डन से करीब चार महीने पहले चोरी की थी। मैंने इस चोरी की मोटरसाइकिल को छुपा कर खड़ा कर दिया था। अब मैं इसको बेचने की फिराक में जा रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकडा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

विकास कुमार उर्फ बल्लू उर्फ बब्लू पुत्र शशि भूषण हाल निवासी ट्रान्सफार्मर वाली गली राजबाग कॉलोनी थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

चोरी की 01 हीरो होण्डा पैशन प्रो मोटरसाइकिल (थाना शालीमार गार्डन से सम्बन्धित) बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर उक्त वाहन चोरी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। थाना साहिबाबाद पर वाहन चोरी का वाहन चोरी का 01 अभियोग तथा चोरी का वाहन बरामदगी के 02 अभियोग (कुल 04 अभियोग) पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम।